

निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट की गई विशिष्टियों को सही करने के लिए आवेदन

सेवा में,

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,

..... पंचायत समिति।

महोदय,

मैं निवेदन करता हूँ कि पंचायत वृत्त..... के वार्ड संख्या..... की निर्वाचक नामावली के क्रम संख्या..... में मुझसे संबंधित आयी प्रविष्टि सही नहीं हैं और इसे सही किया जाना चाहिए। मेरे निवेदन के समर्थन में सही विशिष्टियां नीचे दी गयी हैं :-

इस खाने के भीतर पूरे चेहरे को सामने से उपदर्शित करते हुए पासपोर्ट आकार (3.5 से.मी. x 3.5 से.मी.) का नवीनतम फोटो चिपकाने के लिए स्थान

1. आवेदक का ब्यौरा	नाम	उपनाम (यदि कोई हो)				
1 जनवरी (वर्ष लिखें) को आयु	वर्ष :	मास :				
जन्म-तिथि, यदि ज्ञात हो	दिन :	मास :	वर्ष :			
लिंग* (स्त्री/पुरुष/अन्य)						
पिता/माता/पति का नाम (अनुपयुक्त अनुकल्प को काट दें)	नाम :	उपनाम (यदि कोई हो)				
2. वर्तमान सामान्य निवास स्थान की विशिष्टियां (पूरा पता)						
मकान/द्वार संख्यांक :						
गार्म/क्षेत्र/परिक्षेत्र/मोहल्ला/सड़क :						
नगर/ग्राम :						
तहसील :	पिन कोड :					
पंचायत समिति :						
जिला :						
मोबाइल सं. (यदि कोई हो) :	ई-मेल (यदि कोई हो) :					
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम :	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की भाग सं. :					
3. सही की जाने वाली प्रविष्टियों के ब्यौरे :						
इस प्ररूप में ऊपर उपलब्ध करवायी गयी सूचना के संबंध में मेरा नाम/आयु/पिता का/माता का/पति का नाम/लिंग/पता सही किया जायें।						
(अनुपयुक्त अनुकल्प को काट दें)						
स्थान :	निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी					
दिनांक :						

टिप्पणी: कोई व्यक्ति जो ऐसा कथन करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान है या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है तो यह राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 18-क के अधीन दण्डनीय है।

* यदि किन्नर/लिंग परिवर्तन कराने वाले अपना लिंग पुरुष या महिला के रूप में उल्लिखित नहीं करना चाहते हैं तो वे अपना लिंग 'अन्य' लिखें।

* कृपया पासपोर्ट आकार का फोटो संलग्न करें यदि फोटो में कोई संशोधन किया जाना है।

आवेदन पर की गई कार्रवाई के ब्यौरे

क्षेत्र स्तर के अधिकारियों की अभ्युक्तियां (जैसे अन्वेषक अधिकारी, पदाभिहित अधिकारी, पर्यवेक्षण अधिकारी)

निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा भरा जाये

(i) श्री/श्रीमती/कुमारी.....का निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट विशिष्टियों को सही करने के लिए प्ररूप-3 में आवेदन स्वीकृत* कर लिया गया है/अस्वीकृत* कर दिया गया है।

(ii) स्वीकृत या अस्वीकृत करने के विस्तृत कारण (नियम 14 के उप-नियम (3) के अधीन).....

स्थान :

दिनांक :

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
के हस्ताक्षर

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
की मुहर

की गई कार्रवाई की सूचना

(पृष्ठ का अनुभाग-2 निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा भरा जाये और आवेदक द्वारा अनुभाग-1 में दिये गये पते पर डाक द्वारा आवेदक को भेजा जाये)

पहला मोड
अनुभाग-1

आवेदक का नाम और डाक का पता :

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रेषण के
समय डाक टिकिट चिपकाया जाये।

दूसरा मोड
अनुभाग-2

प्ररूप-3 में आवेदन :-

(क) स्वीकृत कर लिया गया है और पंचायत वृत्त.....के वार्ड संख्या.....के क्रम संख्यांक.....की प्रविष्टि को तदनुसार उपांतरित कर दिया गया है।

(ख)के कारण अस्वीकृत कर दिया गया है।

स्थान

दिनांक

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
(पता).....

आवेदक द्वारा भरा जाना है

आवेदन की रसीद

श्री/श्रीमती/कुमारी.....पता.....

का प्ररूप-3 में आवेदन प्राप्त हुआ।

दिनांक

* अनुपयुक्त अनुकल्प को काट दें।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की ओर से
आवेदन प्राप्त करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
(पता).....